अतिमत्वपूर्ण/मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश
संख्या– CM-20/सेक–2–पांच–17–7(20)/2018

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2018

विषयः–दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रत्येक सोमवार को कैम्प आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रदेश के दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र बनवाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एक समान दिवस निर्धारित न होने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कैम्प आयोजित करते हुए दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाय।

3– उक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित दिवस के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें तथा मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.2018 के साथ संलग्न घोषणा प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 06.02.2018 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में भी कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना शासन को भी उपलब्ध कराये।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–CM-20 (1)/सेक–2–पांच–18, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3– निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

6– समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/संयुक्त/महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

7– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।

8– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0।

9– प्रभारी कप्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ समस्त संबंधित को ई0 मेल करने का कष्ट करें।

10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ
संख्या:मुमस/78/चौतीस/घोषणा/2018/Y.A.N.-04/2018
लखनऊ : दिनांक 06 February 2018

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 04/02/2018 को जनपद गोरखपुर में निम्न घोषणा की गई है :-

क्रमांक	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
1	Y.A.N.-04/2018 (क.स.- GH11Y000067)	राज्य के सभी जनपदों के जिला चिकित्सालयों में प्रत्येक सोमवार शिविर लगाकर दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त घोषणा/घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है :-

1 - दिनांक 04/03/2018 तक घोषणा से संबंधित बिन्दुओं जैसे आगणन लागत, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि तथा घोषणा के पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि आदि की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट http://upcmo.up.nic.in पर अनिवार्य रूप से फीड कर दी जाय एवं इस टाइम लाइन की नियमित समीक्षा की जाय। यदि घोषणा के अनुपालन में किसी कार्यदायी संस्था की आवश्यकता नहीं है तो इस तथ्य की प्रविष्टि कर दी जाए। घोषणा के अनुपालन में निर्माण कार्य प्रस्तावित होने की स्थिति में अथवा अन्यथा नामित की गयी कार्यदायी संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। यदि कार्यदायी संस्था उपरोक्त दिनांक तक नामित नहीं की जा सकी है तो इसके नामित किये जाने की संभावित तिथि का उल्लेख किया जाए। घोषणा पूर्ण तभी मानी जायेगी जब उसका कार्य पूर्ण होकर जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा। अतः इसी आधार पर घोषणा के पूर्ण होने की तिथि भी अंकित की जाये।

2- विभाग द्वारा इस घोषणा के अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर के एक अधिकारी को विभागीय नोडल अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था के नामित होने की स्थिति में अधिशासी अभियन्ता से अनिम्न स्तर के एक अधिकारी को फील्ड स्तरीय प्रगति हेतु नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाये। यथा स्थिति नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. की http://upcmo.up.nic.in पर फीडिंग करायी जानी अनिवार्य है।

3- (क) http://upcmo.up.nic.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवंटित विभाग के स्तर पर प्रत्येक पन्द्रह दिन में कम से कम एक बार इस घोषणा की प्रगति (अद्यावधिक स्थिति) को अनिवार्यतः फीड कराया जाये तथा फीडिंग के दिनांक तक की प्रगति के फोटोग्राफ्स को पी.डी.एफ. में अपलोड किया जाये। कार्य की प्रकृति के अनुसार एक या एक से अधिक फोटोग्राफ्स को अधिकतम 01 एम0बी0 की एक पी0डी0एफ0 फाइल बनाकर अपलोड किया जा सकता है।

(ख) जिन घोषणाओं में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है उनमें यदि फीडिंग के दिनांक तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो उस दिनांक से पूर्व एक माह की अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु किये गये प्रयासों से संबंधित सुसंगत अभिलेखों (यथा नोटशीट, पत्राचार, आदेश की प्रति आदि) को फोटोग्राफ्स के स्थान पर पी0डी0एफ0 में अपलोड किया जाए। इसी प्रकार जिन घोषणाओं में निर्माण कार्य निहित नहीं है, उनमें घोषणा की प्रगति/पूर्ति से संबंधित सुसंगत अभिलेखों (यथा नोटशीट, पत्राचार, आदेश की प्रति आदि) को फोटोग्राफ्स के स्थान पर पी0डी0एफ0 में अपलोड किया जाए। इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखा जाए कि अपलोड की जाने वाली सूचना/फोटोग्राफ्स अद्यतन हो एवं पूर्व में अपलोड न किये गये हो। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार घोषणा की प्रगति (अद्यावधिक स्थिति) तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स को अपलोड किया जाना है, अतः जब भी इस संबंध में कोई सूचना/फोटोग्राफ्स/अभिलेख अपलोड किये जाए तो वह पूर्व में अंकित सूचना के बाद के किये गये प्रयासों तथा प्रगति से संबंधित होने चाहिए। सूचनाओं का बार-बार रिपीट किया जाना गम्भीरता से लिया जाएगा।

4- विभागीय नोडल अधिकारी को वेबसाइट पर घोषणा से संबंधित सूचनाओं को फीड कराने हेतु तथा समय-समय पर परिस्थितिनुसार सूचनाओं में संशोधन किये जाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाए।

-------------2 पर

5- http://upcmo.up.nic.in पर आपके द्वारा मुख्य मंत्री कार्यालय के संदर्भों के अनुश्रवण एवं फीडिंग हेतु प्रयोग में लाये जा रहे लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से ही मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को फीड किया जा सकता है। यदि आपके पास आपका लागिन आई.डी. एवं पासवर्ड किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो आप http://upcmo.up.nic.in पर बने लिंक 'अधिकारीगण स्वयं से संबंधित संदर्भ एवं घोषणाओं के लिए यहाँ क्लिक करें' पर क्लिक करने पर प्रदर्शित होने वाले पेज पर "Forgot your Login ID/Password" पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी श्रेणी का चयन कर पासवर्ड रिक्वेस्ट हेतु निर्धारित फार्म ऑनलाइन भर दें। आपके दिये गये मोबाइल नं0 पर अधिकतम दो कार्य दिवसों में आपका लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड एस.एम.एस. के माध्यम से पहुँच जायेगा।

6- सचनाओं/फोटोग्राफ्स को अपलोड करने में अथवा ऑनलाइन फीडिंग में किसी भी अन्य समस्या के निराकरण हेतु श्री आर0 के0 बजाज, विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री कम्प्यूटर सेल से किसी भी कार्यदिवस में दूरभाष संख्या-0522-2239236 पर संपर्क किया जा सकता है।

7- यदि इस घोषणा को पूर्ण कराना किसी दूसरे विभाग की कार्यवाही अथवा प्रगति पर निर्भर है तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे विभाग द्वारा अपेक्षानुसार रूचि नहीं ली जा रही है तो इसकी सूचना तुरन्त मुख्य मंत्री कार्यालय में आपके विभाग को देख रहे अधिकारी को उपलब्ध करायें।

8- घोषणा के पूर्ण होने पर विभाग द्वारा इससे संबंधित तथ्यों की ऑनलाइन फीडिंग/ अपलोडिंग की जायेगी एवं एक पत्र के माध्यम से मुख्य मंत्री घोषणा प्रकोष्ठ को भी सूचित किया जाए। घोषणा प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षण कर पत्रावली को मुख्य मंत्री कार्यालय में घोषणा से संबंधित विभाग को देख रहे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

mun 6.2.18

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

सचिव , मुख्यमंत्री

संख्या-मुमस 78 (1)/चौतीस/घोषणा/2018/ Y.A.N.-04/2018 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव,वित्त/ नियोजन विभाग ।

2- आयुक्त,गोरखपुर मण्डल,गोरखपुर ।

3- जिलाधिकारी, गोरखपुर ।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)

अनु सचिव , मुख्यमंत्री